मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5 अरेरा कालोनी पर्यावरण परिसर भोपाल

क्रमांक OD-49 /विधि/प्रनिबो/2026 भोपाल दिनांक 27/01/2026

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल इन्दौर ग्वालियर धार सतना रीवा
सागर जबलपुर गुना शहडोल सिंगरौली
कटनी छिंदवाडा मंडीदीप

विषय-' मेसर्स परख एग्रो पीथमपुर के विरूद् पारित आदेश दिनांक 09/12/2025 को पारित आदेश के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 09/12/2025 को पारित आदेश की प्रति की प्रति सुल्भ संदर्भ हेतु संलग्न है । कृपया बोर्ड द्वारा दायर प्रकरणों में उक्त आदेश के संदर्भ देते हुये निर्णय बोर्ड के पक्ष में कराने का कष्ट करें ।

Digitally Signed by: Manoj Kumar Mandrai
Date: 27-01-2026
11:28 am

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(मनोज कुमार मंडराई)
अधीक्षण यंत्री, विधि

प्रतिलिपि:- प्रभारी अधिकारी आईटी शाखा की ओर निर्णय की प्रति अपलोड करने हेतु प्रस्तुत ।

क्षेत्रीय कार्यालय धार

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010(म.प्र.)

क्रमांक 396 /क्षेकाधार /(लीगल)/प्रनिबो/2025 इन्दौर, दिनांक 30/12/25

प्रति,

विधि शाखा,(प्रभारी)
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

EMS: 4333 964
Date: 06/01/2026

विषयः– माननीय धार न्यायालय मे लंबित प्रकरण क्र. 566/2018 म. प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड विरूध मेसर्स परख एग्रो पीथमपुर मे प्लीबार्गेनिंग सहमति के पश्चात निर्णय पारित होने की सुचना बाबत।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि मेसर्स परख एग्रो पीथमपुर मे प्लीबार्गेनिंग के संबंध मे बोर्ड मुख्यालय द्वारा प्रकरण क्र. 566/2018 (म. प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड विरूध मेसर्स परख एग्रो पीथमपुर) प्लीबार्गेनिंग की अनुमती दिनांक 23.07.2025 प्रदान की गई थी। प्लीबार्गेनिंग के परिपेक्ष्य मे माननीय धार न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2025 को निर्णय पारित किया गया है। सुचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अजय कुमार मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी
धार

न्यायालयः– नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार (म.प्र.)

(निर्णय दिनांक 09.12.2025)

आपराधिक प्रकरण क. RCT/566/2018
फायलिंग नं. RCT/1668/2018
सी.एन.आर. नं. MP1101-002518-2018
संस्थित दिनांक. 09-05-2018

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राजेश गाभे पिता लक्ष्मीकांत गाभे रासायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास भवन, सेक्टर 2, पीथमपुर जिला धार	
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सोहेल निसार, अधिवक्ता	
अभियुक्त	1–मेसर्स पारस एग्रोइण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लाट नंबर 812 सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार (म.प्र.) 2–श्री महेन्द्र लुनावत, डायरेक्टर मेसर्स पारख एग्रोइण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लाट नंबर 812 सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार (म.प्र.) 3–श्री सुरेश पारख, डायरेक्टर मेसर्स पारख एग्रोइण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लाट नंबर 812 सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार (म.प्र.) 4–श्री हारकचंद पारख, डायरेक्टर मेसर्स पारख एग्रोइण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लाट नंबर 812 सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार (म.प्र.) 5–श्री प्रकाश पारख, डायरेक्टर मेसर्स पारख एग्रोइण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लाट नंबर 812 सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)	 मृत
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अजय चौधरी, अधिवक्ता	

09-12-2025
(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार (म.प्र.)

अपराध की तिथि	31.05.2017 से निरन्तर
प्र.सू.रि. की तिथि	18.07.2017 एवं 13.11.2017
परिवाद पत्र की तिथि	09.05.2018
आरोपों के विरचना की तिथि	05.06.2025
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	11.06.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	28.11.2025
निर्णय की तिथि	08.12.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	मेसर्स पारस एग्रोइण्डस्टीज लिमिटेड	--		जल प्रदूषण अधिनियम, 1974 की धारा 25 का उल्लंघन किया जो 44 एवं वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 की धारा ; उल्लंघन किया, जो धारा 37 व 39	दोषसिद्ध	(अ) अभियुक्तगण द्वारा स्थानीय प्रतिभूति के सहित 20,000= 20,000= 20,000= 20,000 कुल 80,000/- (रुपये अस्सी हजार रुपये) रुपये का बंध पत्र निष्पादित करेंगे की वह 03 वर्ष की कालावधि के दौरान न्यायालय द्वारा आहुत किये जाने पर उपस्थित होंगे और दण्डादेश प्राप्त करेंगे और इस बीच परीशांति कायम रखेंगे व सदाचारी रहेंगे । (ब) अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अपराध परीवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के अंतर्गत प्रतिकर के रुप मे	--
2.	महेन्द्र लुनावत,	--			दोषसिद्ध		--
3.	सुरेश पारख,	--			दोषसिद्ध		--
4.	प्रकाश पारख,				दोषसिद्ध		--

09-12-2025

				के अधीन दण्डनीय है	कुल 50,000/– (रुपये पचास हजार रुपये) अदा किया जावेगा। प्रतिकर की राशि 50,000/– (रुपये पचास हजार रुपये) रुपये जमा न करने पर अभियुक्तगण को 1–1 माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।	

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	राजेश गाभे	परिवाद पत्र
अ.सा.–2	आलोक सिंघई	क्षेत्रीय अधिकारी

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :–

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	प्रारंभिक सम्मति
2.	प्रदर्श पी–2	सम्मति
3.	प्रदर्श पी–3	न्यायालयीन वाद दायर करने हेतु प्राप्त पत्र
4.	प्रदर्श पी–4	न्यायालय में वाद दायर करने हेतु अधिकृत पत्र

(ख) प्रतिरक्षा :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला धार (म.प्र.)

1.	निरंक	निरंक

(ग) न्यायालयीन प्रदर्श :—

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

(घ) आवश्यक वस्तुएं :—

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

01— अभियुक्तगण पर जल प्रदुषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 44 एवं वायु प्रदुषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं 39 के अंतर्गत यह आरोप है कि आपके द्वारा मेसर्स पारख एग्रोइण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नंबर 812 सेक्टर--03 औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार में फ्लोर मिल, गरम बेसन आदि इत्यादि का निर्माण उद्योग में किया जाता है, जिसमें इकाई को जल सम्मति विशेष शर्त कमांक 12 एवं वायु सम्मति शर्त कमांक 10 के अनुसार इकाई को उत्पादन क्षमता में वृद्धि के पूर्व जल व वायु सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य था, किन्तु इकाई द्वारा विस्तारीकरण के तहत स्थापना सम्मति प्राप्त किए बगैर विस्तारीकरण बावत् निर्माण कार्य प्रारंभ करना जारी रखा और इस प्रकार जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 की धारा 25 और वायु प्रदूषण निवारण नियत्रंण अधिनियम 1981 की धारा 21 का उल्लंघन किया।

02— प्रकरण मे अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्ली—बार्गेनिंग आवेदन के तहत सुनवाई व बैठक में परिवादी द्वारा सभी आरोपीगण की ओर से प्रतिकर स्वरूप रूपये 50,000/— (पचास हजार रूपये) अदा कर दिए जाने पर आरोपीगण

09-12-2025
(न्ताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धार (म.प्र.)

को मात्र जुर्माने पर अथवा सदाचरण की परिवीक्षा या भर्त्सना पर छोड़े जाने की शर्त पर सहमत हुआ है।

03— परिवाद संक्षेप मे इस प्रकार है कि:— फरियादी बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत होकर संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील है और बोर्ड द्वारा पत्र कमांक 2627 दिनांक 28.09.2017 के द्वारा आरोपी निकाय द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत वाद दायर करने के निर्देश दिए गए है और मुख्यालय भोपाल में स्थित होकर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र कमांक 214 दिनांक 23.03.2018 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को वाद दायर करने के लिए निर्देशित करने पर श्री राजेश गाभे के हस्ताक्षर द्वारा यह परिवाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और आरोपी कमांक 1 द्वारा फ्लोर मिल, गरम बेसन और दाल, रवा, सुजी, मेदा इत्यादि का निर्माण उद्योग में किया जाता है, जिसमें इकाई को जल सम्मति विशेष शर्त कमांक 12 एवं वायु सम्मति शर्त कमांक 10 के अनुसार इकाई को उत्पादन क्षमता में वृद्धि के पूर्व जल व वायु सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य था और विस्तारीकरण के तहत स्थापना सम्मति प्राप्त किए बगैर विस्तारीकरण बाबत् निर्माण कार्य प्रारंभ करना जारी रखा और इकाई द्वारा दिनांक 29.11.2014 से बगैर सम्मति उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर ली गयी, जिसका दिनांक 18.07.2017 एवं 13.11.2017 के निरीक्षण में आरोपीगण जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 44 एवं वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 सहपठित धारा 37 व 39 के अंतर्गत अपराध हेतु उत्तरदायी है, तब परिवादी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

05— अभियुक्तगण द्वारा प्ली बार्गेनिंग आवेदन प्रस्तुत करते हुए तय शर्तो पर स्वैच्छिक आरोप की स्वीकारोक्ति की है।

06— चूंकि अभियुक्तगण द्वारा प्ली–बार्गेनिंग के माध्यम से प्रकरण का निराकरण चाहा गया है और प्ली–बार्गेनिंग आवेदन न्यायालय मे सम्मुख हुई निस्तारण मंत्रणा के फलस्वरुप स्वीकार किया गया है।

07— प्रकरण मे अभियुक्तगण द्वारा अपराध की प्रकृति व प्रावधिक दण्ड को समझकर स्वेच्छया द.प्र.सं. की धारा 265 बी के अंतर्गत अभिवाक चर्चा हेतु प्रस्तुत आवेदन पर परिवादी की ओर से श्री राजेश गाभे, प्राधिकृत अधिकारी मध्यप्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड निस्तारण मंत्रणा हेतु उपस्थित हुए। परिवादी की ओर से अभियुक्तगण को रूपये 50,000/— के प्रतिकर अदायगी पर न्यूनतम दण्ड या परीविक्षा का लाभ प्रदान किये जाने की शर्त पर प्ली–बार्गेनिंग का आवेदन स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अभियुक्तगण ने स्वीकार किया है व मेमोरेण्डम उभयपक्ष ने प्रस्तुत किया है। संबंधित पक्षों के मध्य पारस्परिक संतोषप्रद व्ययन हेतु सहमति हो जाने के कारण इस प्रकरण का निराकरण द.प्र.सं. के अध्याय 21–अ के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

08— पारस्परिक संतोषप्रद व्ययन हेतु अभिवाक चर्चा बैठक के प्रतिवेदन दिनांक 04.12.2025 के अनुसार सभी पक्षो के मध्य निम्न बिन्दुओ पर सहमति हुई है:–

(अ) अभियुक्तगण के विरुद्ध जल प्रदुषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 44 एवं वायु प्रदुषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं 39 मे अभियोग के विषय मे उन्होंने अपने अपराधिक दायित्व को स्वैच्छया स्वीकार किया है।

09-12-2025
(श्वाता शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला धार (म.प्र.)

(ब) अभियोजन एवं पीड़ित पक्ष ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि यदि अभियुक्तगण द्वारा रूपये 50,000/– का प्रतिकर अदा करने पर यदि कम दण्ड से दण्डित किया जाता है अथवा परिविक्षा का लाभ दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

09– उभयपक्ष के मध्य हुई सहमति के आधार पर अभियुक्तगण को जल प्रदुषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 44 एवं वायु प्रदुषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं 39 दोषसिद्ध किया जाता है।

10– प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो।

दिनांकः– 09.12.2025
स्थानः– धार

नताशा शेख पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार
जिला धार

11– दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। इस संबंध मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 265–ड का उपधारा (क) न्यायालय को यह विवेकाधिकार देती है कि जिन प्रकरणों मे सौदा अभिवाक हुआ हो उन प्रकरणों मे न्यायालय अभियुक्तगण को सदाचार की परीविक्षा पर या धारा 360 द.प्र.सं. के अधीन भर्त्सना के पश्चात अथवा अपराधी परीविक्षा अधिनियम या अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अभियुक्त को लाभ प्रदान कर सकती है या फिर पक्षकारों को सुनकर अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध के लिये दण्ड की मात्रा निर्धारित कर सकती है।

12– इस संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत "Guerrero Lugo Elvia Grissel and Ors.Vs.The State of

(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला धार (म.प्र.)

Maharashtra 2012BomCR(Cri)328" अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांत मे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि As regards the expression "may" appearing in clause (d), similar expression has been used in clauses (b) and (c) of Section 265-E. The use of expression "may" in the setting in which it is placed, will have to be construed as "shall". In that, if the Court, upon hearing the parties, was to be satisfied that Section 360 of the Code or the provisions of the Probation of Offenders Act were attracted in the fact situation of the case, it would be the bounden duty of the Court to release the accused on probation or provide the benefit of any such law, as the case may be. In that case, the other two clauses in Section 265-E, i.e., clauses (c) and (d), will not come into play at all. But, in a given case, if clause (b) is not applicable or attracted, then, the Court, after hearing the parties, has to satisfy itself that the offence, in respect of which, the accused has pleaded guilty, and has invoked remedy of plea-bargaining, provides for any minimum punishment.

13- If minimum punishment is provided under the law for the said offence, then, it would be the bounden duty of the Court to sentence the accused in the manner provided in clause (c). Once clause (c) is attracted, clause (d) will have no application to that case. In one sense, the regime provided in clauses (c) and (d) is mutually exclusive. In matters of plea-bargaining, where the Court is satisfied that neither clause (b) nor clause (c) is applicable, all

such specified cases would be covered by clause (d). In other words, clause (d) is a residuary clause covering all those specified cases which are not covered by clause (b) or clause (c). If the case falls in clause (d), then, the Court is obliged to sentence the accused in the manner provided in the said clause. Thus understood, the expression "may" appearing in clause (d) is not indicative of having bestowed discretion in the Court regarding the quantum of sentence, but is to cast obligation on the Court to sentence the accused in the manner provided in the said clause. उक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार यदि न्यायालय अभियुक्तगण को परीविक्षा या अन्य किसी विधि का लाभ देना चाहता है तो द.प्र.सं. की धारा 265–ङ. द.प्र.स. के उपधारा (ग) एवं (घ) के प्रावधान उक्त प्रकरण पर लागु नही होंगे।

14– अतः अब यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण को परीविक्षा या अन्य विधि के अंतर्गत लाभ दिये जाने के पर्याप्त आधार है या नही। यह कि परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध उनके उद्योग की सम्मति का नवीनीकरण नही कराया जाकर कारखाना संचालित रखा जाने के फलस्वरुप यह मामला पेश किया गया था, जो कि जल प्रदुषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 44 एवं वायु प्रदुषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं 39 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। यह कि उक्त धारा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नही है, बल्कि नवीनतम संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा संशोधित किए जाने उपरांत अब मात्र अर्थदण्ड से दण्डनीय है और न्यायदृष्टांत <u>नेमीचंद विरूद्ध राजस्थान राज्य, (2018) 17 एस.सी.सी.448</u> में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के

09.12.2024
(महाशा शख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला धार (म.प्र.)

प्रकाश में कारावास का दण्डादेश समाप्त कर मात्र अर्थदण्ड का प्राविधान हो जाने संबंधित संशोधन भी लाभकारी –अर्थान्वयन के सिद्धांत, पूर्ववर्ती प्रभाव रखता है। इसके अतिरिक्त स्वयं परिवादी ने अभियुक्तगण को परीविक्षा का लाभ जाना प्रस्तावित किया है। जनसामान्य को कोई हानि नहीं हुयी है। अतः वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परीस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए इस अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाता है। अतः अभियुक्तगण को अपराधी परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि :–

(अ) अभियुक्तगण द्वारा स्थानीय प्रतिभूति के सहित कुल 50,000/– (रुपये पचास हजार रुपये) रुपये का बंध पत्र निष्पादित करेंगे की वह 03 वर्ष की कालावधि के दौरान न्यायालय द्वारा आहुत किये जाने पर उपस्थित होंगे और दण्डादेश प्राप्त करेंगे और इस बीच परीशांति कायम रखेंगे व सदाचारी रहेंगे और पर्यावरण विधि व नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे।

(ब) अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अपराध परीवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के अंतर्गत, प्रतिकर के रुप मे कुल रुपये 50,000/– (रुपये पचास हजार रुपये) अदा किया जावेगा। प्रतिकर की राशि **50,000/–** (रुपये पचास हजार रुपये) **रुपये** जमा न करने पर अभियुक्तगण को 7–7 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

15– यह कि अभियुक्त कं. 01 मेसर्स पारस एग्रोइण्डस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक/पदाधिकारीगण अभियुक्तगण हैं। अतः अभियुक्त कं. 1 को अधिरोपित प्रतिकर की राशि अभियुक्त क्रमांक 01 के मालिको द्वारा भुगतान की जावेगी और

09.12.2025
(प्रकाश शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

उक्त राशि अभियुक्त कमांक 01 के मालिकों से ही वसूली योग्य होगी। प्रतिकर राशि अदा होने पर अपील अवधि के पश्चात अपील न होने की दशा में परिवादी को प्रदान की जावे। अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

16— अभियुक्तगण के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

17— प्रकरण मे कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

18— प्रकरण में अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध मे धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर संलग्न किया जाए।

19— अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

दिनांकः— 08.12.2025
स्थानः— धार

नताशा शेख पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार
जिला धार

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

नताशा शेख पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार
जिला धार

NATASHA SHAIKH PATEL
Digitally signed by NATASHA SHAIKH PATEL
Date: 2025.12.09 06:54:49 +0700

(16)